

20.3.25

वकील जग्गी उपस्थित। डिस्ट्री अंतुबा इन्तकाल  
स्वीकृत होना कलपा, प्राथना-पत्र में कोर्ट का पकवाही  
शेष नहीं होने पर प्राथना-पत्र स्वीकार किया  
जाता है। पत्रावली नंबर ७ में होकर डीवालय  
इफ्तता हो।

कोर्ट से इजलास हुनादा गया।

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)

G CMS  
2025/45

